

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1652

(जिसका उत्तर शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2017/19 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया जाना है)

मानक न्यूजप्रिंट के आयात पर कर वंचन

1652. डा. उदित राज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि नवीन विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत थर्ड पार्टीज (एचएस कोड 48010090) मानक न्यूजप्रिंट आयात की मुक्त रूप से अनुमति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उद्भव देशों से न्यूजप्रिंट आयात को भेजा जाता है, परंतुक बीजक उन देशों से जारी किया जाता है जो सामान्य तौर पर कर चोरी की शरण स्थली माने जाने वाले देश माने जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) एचएस कोड 48010090 के अंतर्गत आयात में थर्ड पार्टी आयातों और धन शोधनों से निपटने के लिए

क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं ;

(घ) क्या सरकार को न्यूजप्रिंट उत्पादन करने वाली घरेलू मिलों जो एचएस कोड 48010090 हेतु सीमाशुल्क मुक्त आयात नीति के कारण बंदी का सामना कर रही हैं, की सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन के पश्चात ऐसे कितने प्रचालित और गैर-प्रचालित मिलों के लाभान्वित होने की संभावना है ?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष गंगवार)

(क) : निर्यात-आयात कूट शीर्ष 4801 अर्थात रोल्स अथवा शीट्स में न्यूज प्रिंट जिसमें (48010090-अन्य) भी शामिल है के अंतर्गत आने वाली मदों की आयात नीति पर प्रतिबंध है। आईटीसी (एचएस) के अध्याय 48 के अंतर्गत आयात नीति शर्त संख्या 2 को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के परामर्श से डीजीएफटी की दिनांक 03 जून, 2016 की अधिसूचना सं. 09 के अंतर्गत संशोधित किया गया था जो कि निम्नानुसार पठित है:

“ निर्यात-आयात कूट शीर्ष 4801 के अंतर्गत आने वाली मद की तथापि वास्तविक प्रयोगकर्ता की शर्त के अद्यधीन ऐसे व्यक्तियों को बिना आयात लाइसेंस के अनुमति दी जाएगी जिनके पास रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स फोर इंडिया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र है तथा जो वस्तुओं के आयात के समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों की

संतुष्टि के अनुसार आर एंड आई द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा आयातक को रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स फोर इंडिया को प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक उनके द्वारा पिछले (लाइसेंसिंग) वर्ष के संबंध में एक वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करना होगा जिसमें वे उपभोग किए गए न्यूज प्रिंट की कुल मात्रा और मूल्य तथा उनके द्वारा आयात किए गए न्यूज प्रिंट की मात्रा दर्शाएंगे। इस बारे में घोषणा, वार्षिक विवरण और अन्य दिशा निर्देशों संबंधी प्रपत्र की घोषणा समय-समय पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

(ख) : अन्य देशों से शिफ्ट की गई वस्तुओं के संबंध में इनवायस की घटनाएं हांगकांग, सिंगापुर, कोरिया गणराज्य और यूएई से पाई गई थी।

(ग) : सीमाशुल्क फील्ड कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि इस प्रकार के गैर-कानूनी आयात के किसी प्रयास को रोका जा सके।

(घ) : जी, नहीं।

(ङ) : उपर्युक्त 'घ' के उत्तर के परिणामस्वरूप लागू नहीं।
